

गोपनीय पत्र / टोप
 2/9/2015

बिहार सरकार
 निर्वाचन विभाग
 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
 7, सरदार पटेल मार्ग (मिगलस रोड), बिहार, पटना-800015

फैक्स / ई-मेल
 दूरभाष सं०- 0612-2217956
 फैक्स- 0612-2215611 / 2215978
 ई-मेल- ceo bihar@eci.gov.in

का० आ० सं०- ई2-2-/2015-110

पटना, दिनांक 13 सितम्बर, 2015 ई०।

कार्यालय आदेश

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ज्ञापांक सं०-3531 दिनांक 05.08.2015 द्वारा कार्यालय आदेश सं०-86 निर्गत की गई है। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश की कंडिका 25 में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	कोषांग का नाम	स्तंभ 2 में वर्णित कोषांग के लिये मुख्यालय के नोडल पदाधिकारी का नाम	स्तंभ 3 पदाधिकारी की अनुपस्थिति में नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करने वाले पदाधिकारी का नाम	वरीय प्रभार में रहने वाले अपर/अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का नाम
1.	मतगणना केन्द्र, मतदत्त ई0वी0एम0 वज्र गृह (Polled EVM Strong Room) कोषांग	श्री भरत लाल बैठा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार! (मो० संख्या-854429905)	श्री अशोक प्रियदर्शी, उप निर्वाचन पदाधिकारी(मु०) (मो० संख्या-8544429907)	श्री अरविन्द कुमार चौधरी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार (मो० संख्या-9934014191)

2. शेष आदेश यथावत रहेंगे।

(नील कमल)
 संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: ई2-2-/2015-4553

पटना, दिनांक 13 सितम्बर, 2015 ई०।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा सभी कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों को भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में नोडल पदाधिकारियों संबंधी उपर्युक्त व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध करा देंगे, ताकि संबंधित पदाधिकारी भी आवश्यकतानुसार मुख्यालय के नोडल पदाधिकारी/वरीय प्रभार के पदाधिकारियों से सम्पर्क कर सकेंगे।

समाह्वानात्मक दल/गण
 (जिला निर्वाचन प्रशासक)

आफिस 1801, दिनांक 22.9.15

(नील कमल)
 संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि:- सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार विधान सभा निर्वाचन-2015/सभी निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार विधान सभा निर्वाचन-2015 ई० एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निर्वाचन पदाधिकारी,
 (ज्ञापांक 4553)